श्री के० आर० शर्मा एड.

(02)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कमली देवी / शैतान

तारीख हुक्म	37/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/1/21	कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। आदेश जैर अपील के अवलोकन से यह स्पष्ट है की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश पारित कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 16/02/2021 नियत की है, जिसके विरुद्द अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है जबकि अपीलार्थी के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मौजूद है किन्तु ऐसा नही कर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशी तक के लिये पारित अन्तरिम आदेश जैर अपील को सीधे ही इस अपील के माध्यम से चुनोती दी गयी है जो न्यायसंगत प्रतीत नही होता है एवं प्रकरण की इस स्टेज पर अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई युक्तियुक्त कारण जाहिर नही किया गया है जिससे की अन्तरिम आदेश जैर अपील में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित हो। अत: अपील अपीलार्थी आधारहीन प्रतीत होने से ख़ारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय को न्यायहित में यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर अपीलार्थी को उनके समक्ष नियत आगामी पेशी दिनांक 16/02/2021 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 (क़) की पालना करते हुये 30 दिवस में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर निस्तारण करे। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर)	